झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा

द्वितीय–सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 25.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	वर्ष 2008–09 में राज्य सरकार ने गोविंदपुर–साहेबगंज पथ–361 कि0मी0 का उन्नयन, मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु एशियन विकास बैक (ADB) के ऋण से लगभग 1 हजार करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। जो काम 4 फेज मे था एवं सितम्बर 2013 तक पूर्ण करना था, एजेंसी की लापरवाही एवं विभाग की उदासीनता के कारण लगभग 9 करोड़ खर्च के बावजूद अबतक 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया है और इसकी पूर्ण होने की अवधि विस्तार 2016 तक, साथ ही एजेंसी को दंडित न कर विभाग द्वारा पुनः अतिरिक्त राशि अग्रिम दिया जा रहा है। इस देरी के कारण लागत दुगुणी हो गयी है, जो आम जनता पर अतिरिक्त बोझ है। उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पथ निर्माण
02–	सर्वश्री नलिन सोरेन प्रो0 स्टीफन मराण्डी एवं डॉ0 अनिल मुर्म स0वि0स0	एकीकृत बिहार राज्य के कार्यकाल 1955–56 में दुमका जिला अन्तर्गत मयुराक्षी डैम (मसानजोर डैम) का निर्माण कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया था।	जल संसाधन

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		इस डैम के निर्माण में 144 मौजा/गांवों की भूमि अधिग्रहण किया गया एवं अधिकांशतः आदिवासी विस्थापित हुए, कुल 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मयुराक्षी डैम के निर्माण के समय से ही इस डैम पर पश्चिम बंगाल सरकार का कब्जा रहा है, विद्युत उत्पादन, डैम का संचालन, डैम के पानी का उपयोग तथा उपरोक्त सभी कार्य में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार व कर्मचारियों के नियंत्रण में है एवं मनमानी तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वीरभूम जिले के शिऊड़ी तक सिंचाई का उपयोग कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आज तक जिन किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया है उन्हें आज तक प्रावधानों के तहत कोई लाभ नहीं दिया है। 15 नवम्बर, 2000 को झारखण्ड राज्य बनने के बाद भूमि, पानी एवं डैम सभी झारखण्ड राज्य में अवस्थित हैं और इस पर पूरा नियंत्रण पश्चिम बंगाल सरकार के कब्जे में है। यह राज्य की संपदा है। अतः मयुराक्षी डैम को पश्चिम बंगाल सरकार के कब्जे से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	श्री मनीष जयसवाल स0वि0स0	के0बी0 महिला महाविद्यालय, हजारीबाग, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल का एक मात्र अंगीभूत महिला महाविद्यालय है, जहाँ लगभग छः हजार छात्राऐं पढ़ती है परन्तु उक्त महाविद्यालय की आधारभूत संरचना के लिए संबंधित विभाग से प्रत्येक वर्ष राशि निर्गत की जाती रही है परन्तु वित्तीय वर्ष 2007-08 से अब तक उक्त महाविद्यालय को उक्त मद हेतु राशि प्राप्त नहीं हुई है जबकि अन्य महाविद्यालयों को राशि उपलब्ध करायी गयी है इस संबंध में प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के माध्यम से मानव संसाधन विकास विभाग को योजना प्रस्ताव भेजा जाता रहा हैं। साथ ही साथ उक्त महाविद्यालय में वर्षो से कोष के अभाव में विज्ञान भवन अर्द्ध अनिर्मित है, जिसकी संचिका भी संबधित विभाग में अबतक लंबित है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त महाविद्यालय के वित्तीय समस्या की ओर ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	मानव संसाधन विकास

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
04-	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता स0वि0स0	चतरा जिला, मुख्यालय से वर्ष 2014-15 का FCI द्वारा खाद्य सामग्री का उठाव मात्र दस माह का किया गया है जबकि FCI का कहना है कि गोदाम नहीं रहने के कारण वर्ष 2014-15 में माह अगस्त एवं सितम्बर का खाद्य सामग्री लैप्स हो चुका है डीलरों के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ है कि माह फरवरी एवं मार्च की सामग्री लैप्स हुआ है, जिस कारण अनत्योदय एवं बी0पी0एल0 परिवारों को खाद्यान्न नही मिल पायेगा। अतः खाद्य सामग्री में FCI द्वारा किये गये घोटाले के बारे में मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले
05-	सर्वश्री जीतु चरण राम, राम कुमार पाहन एवं श्री जयप्रकाश वर्मा स0वि0स0	राँची जिला अन्तर्गत काँके विधान सभा क्षेत्र के नेवरी विकास NH 33 के शहीद शमीम चौक से चुटू होते हुए चन्दवे चौक तक पथ अति जर्जर होने के कारण इस पथ से हजारों आने-जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। इस पथ का नीविदा पिछले सरकार में की गई थी, लेकिन किसी कारणवश काम नहीं हुआ। अतः नेवरी से चन्दवे चौक तक भाया चुटू पथ का निर्माण जनहीत में कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पथ निर्माण

राँची

दिनांक- 25 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1626/वि0स0,राँची,दिनांक- 24/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/पथ निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ मानव संसाधन विकास विभाग एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1626/वि0स0,राँची,दिनांक- 24/3/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

24.03.15